सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

लोरड़ी पण्डितजी, जोधपुर–342037 (राज.)

E-mail- registrar@policeuniversity.ac.in Website : www.policeuniversity.ac.in

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/ 850 **Dated:** 24/07/2021

–: कार्यवाही विवरण :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की **14**वीं बैठक, दिनांक **07** जुलाई **2021** को प्रातः **11.30** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, उनके कक्ष में आयोजित की गई, में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. श्री आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलपति, एसपीयूपी, जोधपुर एवं अध्यक्ष
2. श्री रूपाराम, माननीय विधायक, जैसलमेर
3. श्री वी. सरवन कुमार, विशिष्ट शासन सचिव, गृह
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान) – ऑनलाइन भाग लिया
4. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान – ऑनलाइन भाग लिया
5. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर
6. प्रो. (डॉ.) राम सिंह मीणा, सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
   एवं सह आचार्य, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. प्रो. एस.एस. टाक, प्रोफेसर (से.नि.), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
8. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. प्रो. शान्तनु चौधरी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर – ऑनलाइन भाग लिया
10. श्री राजीव शर्मा, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर – ऑनलाइन भाग लिया
11. श्री नवज्योति गोगोई, महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज
    (प्रतिनिधिः पुलिस महानिदेशक, राजस्थान एवं प्रति कुलपति, एसपीयूपी) – ऑनलाइन भाग लिया
12. श्री संदीप सांदू, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर
    (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान)
13. वन्दना सिंघवी, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर सदस्य सचिव

उक्त बैठक से संबंधित चर्चा बिन्दुओं से संबंधित आवश्यक सहयोग एवं तत्काल जानकारी प्रदान करने हेतु श्रीमती अंजली यादव, वित्त नियंत्रक, एसपीयूपी, जोधपुर उपस्थित हुई।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या–14/1 : **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 13वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई 2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

निर्णय–14/1 : प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–14/2 : **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 13वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई 2019 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।**

निर्णय–14/2 : प्रबन्ध मण्डल की 13वीं बैठक 17 जुलाई, 2019 के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना–प्रतिवेदन का प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–14/3 : **विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कर्त्तव्यों से वंचित निलम्बन एवं निष्कासन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को शामिल करने हेतु अनुमोदनार्थ।**

निर्णय–14/3 : विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कर्त्तव्यों से वंचित निलम्बन एवं निष्कासन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को शामिल करने के संबंध में माननीय सदस्य प्रो. एस.एस. टाक द्वारा चर्चा के दौरान व्यक्त किया गया कि अधिनियम में संशोधन प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार स्तर पर किया जा सकता है, इस हेतु प्रबंध मण्डल की सहमति की आवश्यकता नहीं है, जिसका प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–14/4 : **विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की दिनांक 27.05.2020 एवं 05.03.2021 के कार्यवाही विवरण पर विचार एवं अनुमोदन।**

निर्णय–14/4 : विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 14वी एवं 15वी बैठक क्रमशः दिनांक 27.05.2020 एवं 05.03.2021 के कार्यवाही विवरण पर माननीय सदस्य प्रो. एस.एस. टाक, सदस्य महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्या परिषद् की बैठक की कार्यवाही विवरण के साथ लिये गये निर्णयों में मण्डल के समक्ष आने योग्य बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण मय वित्तीय भार एवं प्राप्त होने वाले राजस्व के आकलन भी प्रस्तुत किया जाये, जिससे प्रबंध मण्डल के अनुमोदन हेतु स्पष्टता बनी रहे तथा नये पाठ्यक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय अधिनियम, नियम (Statutes, Ordinance) के तहत नियमानुसार प्रारम्भ किये जाने चाहिये।

विद्या परिषद् की कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 19 के क्रम में एमएससी (गणित) नए पाठ्यक्रम पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्या प्रो. पूनम सक्सेना द्वारा संकाय सदस्यों के उपयोग के दृष्टिगत पाठ्यक्रमों के संचालन को उचित नहीं मानते हुए पाठ्यक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, प्रतिबद्धता के दृष्टिगत होना चाहिये।

प्रोफेसर पूनम सक्सेना ने बताया कि हर एक विश्वविद्यालय किसी लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जाता है। विश्वविद्यालय को अपने उन उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य करना चाहिए जिनके लिए यह स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए होते हैं एवं ऐसे कोर्स संचालित करना विश्वविद्यालय एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए सार्थक नहीं है।

प्रोफेसर शांतनु चौधरी द्वारा विद्या परिषद् के एजेंडा नंबर 22 पर चर्चा के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय पीएचडी कार्यक्रम अंग्रेजी में चला रहे हैं, व उसे विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है, जबकि विद्या परिषद् द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालय के अपने उद्देश्य अर्थात् पुलिसिंग एवं उससे संबंधित विषयों में ही रिसर्च, पीएचडी, एमफिल एवं मास्टर प्रोग्राम चलाए जावे, ये आपस में विरोधाभासी हैं। इस बारे में कुलपति महादेय ने प्रबंध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि पीएचडी कार्यक्रम फैकल्टी की ग्रोथ एवं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी–2020 के अनुसार जरूरी है।

प्रोफेसर चौधरी द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय को पीएचडी कार्यक्रमों के मामले में बाध्यता नहीं रखनी चाहिए एवं सभी विषयों में पीएचडी की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

विद्या परिषद के बिंदु संख्या 19 में एमएससी मैथमेटिकल साइंसेज के बारे में माननीय सदस्य प्रोफेसर एस.एस. टाक ने कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ एक फैकल्टी के लिए कार्यक्रम आरंभ नहीं कर सकता है, यह उचित नहीं है।

अंत में प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विश्वविद्यालय उद्देश्य एवं विश्वविद्यालय की फैकल्टी की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदु 19 के एमएससी (Math.) के पाठ्यक्रम एवं बिंदु 22 को विद्या परिषद् द्वारा पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत पुलिस कार्मिकों में दक्षता वृद्धि तथा पुलिस विभाग में नौकरी के इच्छुक युवाओं में पुलिसिंग से संबंधित विषयों में दक्षता के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत पुलिस कर्मियों एवं पुलिस भर्ती के इच्छुक युवकों

के लिए नए डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम नियमित एवं प्राइवेट मोड में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव अकादमिक परिषद् द्वारा पारित किया।

माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम नियमित/प्राईवेट के साथ ही दूरस्थ एवं ऑन–लाईन माध्यम से भी प्रारम्भ किये जा सकते है, जिसका प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–14/5 : **विश्वविद्यालय की अवधि अप्रेल 2014 से मार्च 2019 तक के लेखों की लेखा परीक्षा की अंकेक्षण रिपोर्ट से अवगत कराना।**

निर्णय–14/5 : माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की लेखा अवधि 08/2012 सं 03/2019 तक की लेखा परीक्षा की अंकेक्षण रिपोर्ट में मूलतः चार तरह के आक्षेप का वर्गीकरण किया गया हैं। प्रथमतः तत्समय की गई खर्च/व्यय इत्यादि से संबंधित आक्षेप हैं, जिनका प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन कराया जाना प्रस्तावित है, द्वितीय श्रेणी के आक्षेपों में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी है, तृतीय श्रेणी में वसूली से संबंधित आक्षेप तथा चतुर्थ श्रेणी में प्रक्रियात्मक कमियों से संबंधित आक्षेप हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट के आक्षेप अनुच्छेद संख्या 10, 12, एवं 17 को अनुमोदित करते हुए माननीय सदस्यों द्वारा निर्देश दिये कि भविष्य में विश्वविद्यालय निधि से किये जाने वाले क्रय/व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखें, ताकि इस प्रकार के ऑडिट आक्षेपों से बचा जा सके।

अंकेक्षण रिपोर्ट के आक्षेप अनुच्छेद संख्या 20ए, 20बी, 21, 22, 23, 24ए, 24बी, 26, 27ए, 27बी, 31 से 39, 56, 61 तथा 68 पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा करते हुए पाया गया कि अनुच्छेद आक्षेप जेल प्रहरी भर्ती के समय की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में खरीद से संबंधित हैं। माननीय सदस्यों द्वारा परीक्षा के कार्य सफल एवं समय पर संपादित करने हेतु तथा परीक्षा की गोपनीयता के संदर्भ में तत्समय किये गये व्यय को आवश्यक मानते हुए अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये कि भविष्य में विश्वविद्यालय निधि से किये जाने वाले क्रय/व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखें, ताकि इस प्रकार के ऑडिट आक्षेपों से बचा जा सके।

आक्षेप अनुच्छेद संख्या 40 के संबंध में माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों का चयन प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में अनुमोदित है तथा चयन प्रक्रिया में ऑडिट का कार्यक्षेत्र नहीं माना जा सकता है, जिस पर प्रबंध बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया। तद्नुसार आक्षेप निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेप अनुच्छेद संख्या 1 के संदर्भ में प्रबंध मण्डल सदस्यों

द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग को त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु लिखे जाने के निर्देश दिये। सदस्यों ने भावना व्यक्त की कि जब कुलपति द्वारा रूपये 2 करोड़ के गबन की रिपोर्ट दी गई है तो उस पर प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये।

ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेप अनुच्छेद संख्या 3 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों से वसूली के संबंध में माननीय कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय के समान प्रकृति के कुछ प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित हैं, उक्त प्रकरणों का माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय होने के उपरान्त ही वसूली के संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा, जिसका प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राजस्थान के प्रतिनिधि श्री संदीप सांदू, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के लेखों की वर्षवार लेखा परीक्षा करवाई जानी चाहिये।

बिन्दु संख्या–14/6 : **विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महाविद्यालयों में संचालन हेतु संबंधन कार्यवाही।**

निर्णय–14/6 : बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महाविद्यालयों में संचालन हेतु सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास प्रेषित किया जाये।

बिन्दु संख्या–14/7 : **विश्वविद्यालय के अधीनस्थ जयपुर शहर में संचालित किये जाने वाले विभिन्न केन्द्रों को जोधपुर मुख्यालय स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णय–14/7 : माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक एफ.14(4)गृह–9/2010 दिनांक 05.06.2020 के तहत, जयपुर शहर में संचालित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सैटेलाइट कैम्पस को बंद कर दिया गया था, पालना में जयपुर शहर में संचालित किये जाने वाले समस्त केन्द्रों को जोधपुर मुख्यालय स्थानान्तरित किया गया है, जो कि निम्नलिखित है :–

1. Centre for Child Protection
2. Centre for Road safety
3. Centre for Peace and Conflict Studies

माननीय कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन में दो पृथक–पृथक फण्डिंग स्रोत है, यूनिसेफ द्वारा संचालित कार्यक्रम

जोधपुर में तथा फ्रीडम फण्ड द्वारा संचालित परियोजना (Project) जयपुर विशिष्ट (Specific) होने के कारण उक्त प्रोजेक्ट जयपुर में संचालित है।

बिन्दु संख्या–14/8 : **विश्वविद्यालय में नवनियुक्त सन्नदी लेखाकार श्री दिलीप गोयल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फर्म मैसर्स उत्तम आबूवाला एण्ड कम्पनी, जोधपुर के नियुक्ति सम्बन्धी आदेश का अनुमोदन।**

निर्णय–14/8 : प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में नवनियुक्त सन्नदी लेखाकार श्री दिलीप गोयल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फर्म मैसर्स उत्तम आबूवाला एण्ड कम्पनी, जोधपुर के नियुक्ति सम्बन्धी आदेश का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–14/9 : **विश्वविद्यालय की चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन।**

निर्णय–14/9 : विश्वविद्यालय की चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अंकेक्षण रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर नहीं होने के कारण इसे स्थगित (Defer) रखने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि सीए ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जावे कि ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तैयार की गई। रिपोर्ट में रही कमियों से संबंधित चार्टर्ड लेखाकार को अवगत कराते हुए रिपोर्ट पूर्ण करायी जावे। रिपोर्ट पूर्ण नहीं होने अथवा खामी होने पर सी.ए. से सम्बद्ध विभाग/निकाय को कार्यवाही हेतु सूचित किया जावे।

बिन्दु संख्या–14/10 : **विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(जी) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति की बैठक हेतु संकाय सदस्यों में से दो सदस्यों के मनोनयन पर विचार।**

निर्णय–14/10 : प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(जी) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति की बैठक हेतु संकाय सदस्यों में से निम्नलिखित दो सदस्यों के मनोनयन दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया :–

1. डॉ. कनिका पंवार, सहायक आचार्य (Sociology)
2. श्री विकास सिहाग, सहायक आचार्य (Computer Science)

डॉ. कनिका पंवार, सहायक आचार्य (Sociology) का मनोनयन आदेश जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु तथा श्री विकास सिहाग, सहायक आचार्य (Computer Science) का मनोनयन डॉ. जागृति उपाध्याय, सहायक आचार्य का कार्यकाल समाप्ति दिनांक 04.08.2021 से दो वर्ष की अवधि हेतु किया गया है।

बिन्दु संख्या–14/11 : **विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा प्रबंध मण्डल के एक अशासकीय सदस्य के नामनिर्देशन पर विचार।**

निर्णय–14/11 : प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में माननीय सदस्य प्रो. एस. एस. टाक को अशासकीय सदस्य के रूप में डॉ. शान्तनु चौधरी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर (सदस्य, वित्त समिति) के कार्यकाल समाप्ति दिनांक 16.08.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनयन किया गया।

बिन्दु संख्या–14/12 एवं 14/13 : **विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा एवं सम्पदा शाखा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय।**

निर्णय–14/12 एवं 14/13 : प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा एवं सम्पदा शाखा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य प्रो. एस.एस. टाक द्वारा कथन किया गया कि प्रबंध मण्डल की बैठक में विश्वविद्यालय का संबंधित वर्ष का आय–व्यय अनुमान (बजट) वित्त समिति की अनुशंसा उपरांत प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अतः एजेण्डा बिन्दू संख्या 14/12 में प्रस्तावित सभी आइटम (01 से 13) एवं एजेण्डा संख्या 14/13 में वर्णित आईटम का विधिवत परीक्षण वित्त समिति के द्वारा अनुशंसित किये जाने के उपरांत प्रबंध मण्डल में लाये जाने चाहिये। किन्तु वित्त समिति की बैठक नहीं हो पाने के कारण उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा एजेण्डा आइटम 14/12 एवं 14/13 के प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

बैठक में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राजस्थान के प्रतिनिधि श्री संदीप सांदु, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर द्वारा नवीन सामग्री क्रय एवं नये निर्माण आदि के संदर्भ वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखा जावे।

नवीन प्रस्तावित निर्माण एवं विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में माननीय सदस्य प्रो. एस.एस. टाक द्वारा सुझाव दिया गया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा निर्भया योजना एवं निर्मल भारत योजना के तहत भी विकास कार्यों के हेतु राशि प्राप्त की जा सकती है, अतः परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार

कर भिजवाने चाहिये, जिसका सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों के समक्ष निम्न टेबल एजेण्डा प्रस्तुत किया गया :–

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या–14/1 : **विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति–पत्र (MOU) की सूचना।**

टेबल एजेण्डा निर्णय–14/1 : प्रो. ए.के. गहलोत, माननीय सदस्य महोदय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति–पत्रों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ बनाकर नियमित पर्यवेक्षण किया जावे, ताकि समय–समय पर किये गये एम.ओ.यू. के तहत निर्धारित गतिविधियों में निरंतरता रहे।

प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य महोदय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति पत्रो (MOUs) के प्रयोजन का विवरण (Summary of Scope) भी प्रबंध मण्डल के समक्ष मय सहमति पत्रों की प्रति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या–14/2 : **विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले छात्र–छात्रा छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि पर विचार एवं निर्णय।**

टेबल एजेण्डा निर्णय–14/2 : माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि वार्डन/सहायक वार्डन को वर्तमान में मानदेय रू. 5000.00 प्रतिमाह दिया जा रहा है, परन्तु विश्वविद्यालय शहर से लगभग 30–35 कि.मी. दूर होने से कोई भी संकाय सदस्य वार्डन बनने का इच्छुक नहीं है।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्य प्रो. ए.के. गहलोत ने सुझाव दिया कि छात्रावासों में चिकित्सा आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना उचित होगा, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि वार्डन एवं सहायक वार्डन को विश्वविद्यालय परिसर में रहने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके मानदेय को रू. 10000.00 प्रतिमाह करने एवं वाहन भत्ता 5000.00 प्रतिमाह देने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसका प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन

किया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या–14/3 : **विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत गठित वैधानिक समितियों की बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्य महानुभावों को देय मानदेय (Honorarium) के पुनर्निर्धारण पर चर्चा।**

टेबल एजेण्डा निर्णय–14/3 : माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय की वैधानिक निकायों की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को वर्ष 2012–13 से रूपये 1000.00 प्रति बैठक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जोकि अन्य कई संस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत गठित वैधानिक समितियों की बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों को देय मानदेय (Honorarium) रू. 1000.00 प्रति बैठक से बढ़ाकर राशि रू. 3000.00 प्रति बैठक करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या–14/4 : **विश्वविद्यालय में ठेकेदार के माध्यम से संविदा आधार पर कार्यरत वाहन चालकों के मानदेय में वृद्धि एवं संविदा आधार पर वाहन चालकों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।**

टेबल एजेण्डा निर्णय–14/4 : बैठक में सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में ठेकेदार के माध्यम से संविदा आधार पर कार्यरत वाहन चालकों के मानदेय में वृद्धि एवं संविदा आधार पर वाहन चालकों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव का वर्तमान में प्रचलित कार्यादेश एवं निविदा के तहत परीक्षण कर पुनः प्रबंध मण्डल के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या–14/5 : **विश्वविद्यालय में वर्तमान वाहनों को नियमानुसार कण्डम होने पर नये वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन ।**

टेबल एजेण्डा निर्णय–14/5 : नये वाहन क्रय करने के प्रस्ताव पर सदस्य श्री ओमेन्द्र भारद्वाज द्वारा सुझाव दिया गया कि नये वाहन क्रय करने के स्थान पर संविदा आधार पर किराये पर वाहन लिया जाना बेहतर विकल्प है, तथापि एक आवश्यक संख्या में विश्वविद्यालय के निजी वाहन होना भी आवश्यक है।

बैठक में सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के वाहनों को नियमानुसार कण्डम करने की कार्यवाही समक्ष स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर की जा सकती है।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

कुलसचिव